Shikshan Sanshodhan : Journal of Arts, Humanities and Social Sciences ISSN: 2581-6241 Volume - 4, Issue - 2, Feb- 2021
Monthly, Peer-Reviewed, Refereed, Indexed Journal Impact Factor: 3.871
Received on : 07/02/2021 Accepted on : 20/02/2021 Publication Date: 28/02/2021

महिला अपराधों के नियंत्रण में महिला सहायता नंबरों की भूमिका: एक विश्लेषण

सतपाल यादव
पी. एच डी. शोधार्थी, महात्मा गाँधी अंतरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा (महाराष्ट्र), भारत
ई.मेल आईडी - satpalyadav373@gmail.com

शोध सार: *महिलाओं का सम्पूर्ण सशक्तिकरण आज पूरी दुनिया की अनिवार्यता है लेकिन सशक्तिकरण के मार्ग की मुख्य बाधा महिलाओं के साथ बढ़ते जा रहे विविध प्रकार के अपराध हैं। जिनके नियंत्रण के लिए विविध प्रकार के प्रयास भी हो रहे हैं। महिला सहायता नंबर महिलाओं की सहायता के लिए प्रशासन द्वारा शुरू की गयी एक नयी पहल है जिसका ध्येय लैंगिक असंवेदनशीलता के कारण होने वाले महिला अपराधों को नियंत्रित करना है और सहयोग, विश्वास का ऐसा माहौल निर्मित करना है जिसमें महिलाएं अपने आपको सुरक्षित महसूस कर सकें और आत्मविश्वास से जी सकें। इसके तहत केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार नें मिलकर 1090,1091,112,182 जैसे महिला सहायता नंबरों की सुविधा महिलाओं को दी है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकारों ने अब तक जितने प्रयास किए है और उनके जिस प्रकार के परिणाम आ रहे हैं इससे स्पष्ट तौर पता चलता है कि महिला सुरक्षा के मुद्दे को और गंभीरता से लिए जाने की जरूरत है। प्रस्तुत शोध आलेख महिला सहायता नंबरों के विविध पक्षों का विश्लेषण करेगा ।*

मुख्य बिन्दु: *सशक्तिकरण, महिला सहायता नंबर, महिला सुरक्षा, जेंडर असंवेदनशीलता, महिला अपराध ।*

1. परिचय :

महिलाएं समाज का अनिवार्य हिस्सा हैं, महिलाओं का सशक्तिकरण करके ही सम्पूर्ण समाज का सशक्तिकरण सुनिश्चित किया जा सकता है। वर्तमान समय की सबसे बड़ी जरूरत है कि सार्वजनिक जीवन के हर स्तर पर महिलाओं की पर्याप्त व प्रभावी भागीदारी हो, लेकिन इस भागीदारी में सबसे बड़ी बाधा महिलाओं के साथ होने वाले विविध प्रकार के भेदभाव,शोषण व अपराध है। महिलाओं और लड़कियों के साथ होने वाले ये अपराध मानवअधिकारों का गंभीर उल्लंघन है तथा विश्वस्तर पर जेंडर निष्पक्षता हासिल करने की दिशा के मुख्य अवरोधक हैं। महिलाएं और लड़कियां सार्वजनिक और निजी स्थानों पर विविध प्रकार की हिंसा भेदभाव और उत्पीड़न को झेल रही हैं, जैसे -घूरना, कटाक्ष करना, लुकछिप कर पीछा करना, यौन आक्रमण आदि। असुरक्षा, हिंसा या हिंसा होने का डर महिलाओं और लड़कियों को सामुदायिक जीवन में बतौर पूर्ण व समान नागरिक के रूप में योगदान देनें से रोकता है, स्कूल आते जाते समय रास्ते में होने वाली छेड़छाड़ के कारण लड़कियां स्कूल छोड़ने पर मजबूर हो जाती हैं, कार्यस्थल के दुर्व्यवहार, हिंसा या हिंसा का डर महिलाओं की सार्वजनिक जीवन में उपलब्धता पर नकारात्मक असर डालती है।

हिंसा या हिंसा होने का डर अनगिनत तरीकों से महिलाओं व लड़कियों की रोज़मर्रा जिंदगी में रुकावट पैदा करता है शारीरिक सुरक्षा के बारे में लगातार बनें रहने वाला भय का असर इतना बुरा होता है कि यह महिलाओं और लड़कियों के व्यवहार को भी बदल देता है। हिंसा या उसका भय महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पोषण तक पहुँच को प्रभावित करता है। महिला सहायता नंबर सार्वजनिक व निजी क्षेत्र को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाने की दिशा में एक प्रयास है।

2. साहित्य पुनरावलोकन :

Walklate, Sandra; 2004, Gender Crime and Criminal Justice, willan publishing house

यह पुस्तक आपराधिक घटनाओं से संबन्धित सिद्धांतों और प्रक्रियाओं में जेंडर के मुद्दे से परिचय कराती है ये पुस्तक 6 अध्यायों मे विभाजित है और इसके सभी अध्याय अपराधशास्त्र,दोषी ,और आपराधिक न्याय प्रक्रिया में जेंडर रोल पर प्रकाश डालते हैं।

Gerber L.Gwendolynl: 2011,Women and Men Police Officers : Status Gender and Personality

इस पुस्तक में लेखक ने जेंडर मुद्दे के प्रति महिला और पुरुष पुलिस अधिकारी की सोच को समझने का प्रयत्न किया है कि किस प्रकार से उनकी स्थिति उनका जेंडर और व्यक्तित्व, मनोवैज्ञानिक तौर पर महिला अपराधों पर असर डालती है । महिलाओं के प्रति समाज मे बरकरार स्टीरियोटाइप की सोच महिला अपराधों के प्रति अगंभीरता को बढ़ाती है।

सिंह निशांत मीनाक्षी , महिला सशक्तिकरण का सच (2009) ओमेगा पब्लिकेशन्स , अंसारी रोड , दरिया गंज नई दिल्ली

महिला सशक्तिकरण एक बेहद जटिल और विशाल विषय है ,प्रस्तुत पुस्तक में लेखिका ने इसे पूरी व्यापकता से समझने का प्रयास किया है और पुस्तक के सभी 12 अध्यायों में महिला सशक्तिकरण के विभिन्न पहलुओं चुनौतियों व समाधानों पर बात करते हैं । भारत ही नहीं आज समूची दुनिया में आज सशक्तिकरण का दौर चल रहा है। सरकारों द्वारा विभिन्न नियम, कायदे व कानून बनाए जा रहे है लेकिन इन सबने महिलाओं को कितना सशक्तिकरण किया है ये सबके सामने है ।

Saksham – Measures for ensuring the safety of women and program for Gender sensitization on campuses University Grant Commission Bahadurshah Zafar marg New Delhi.

शिक्षा समाज में समानता लानें में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है ,यह लोगों को उनके अधिकार और न्याय दिलाने में भी सहायक होती है,शैक्षिक संस्थानों में महिलाओं की बढ़ती संख्या और भूमिका सुखदायक है लेकिन आज भी बहुत सारी महिलाएं विविध प्रकार के भेदभाव,शोषण,उत्पीड़न का शिकार हो रही हैं, विश्वविद्यालयों में महिलाओं के साथ शोषण की घटनाएँ बढ़ती जा रही हैं। विविध शैक्षिक संस्थानों में लड़कियों की स्थिति क्या है ,उनके सामने चुनौतियाँ क्या-क्या हैं **?** ये जानने के लिए यू.जी. सी. नें चुने हुए शैक्षिक संस्थानों में से 1300 लोगों से प्रश्नावली भरवाई जिनमें से अधिकांश लोगों ने इस बात को खुलकर स्वीकार किया कि तमाम प्रयासों के बावजूद शैक्षिक संस्थानों में सबसे बड़ी समस्या लैंगिक भेदभाव और लैंगिक उत्पीड़न हैं।

3. **शोध प्रविधि:** प्रस्तुत शोध में गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों शोध प्रविधियों का उपयोग किया गया है, जिसमें से गुणात्मक शोध प्रविधि पर विशेष ध्यान दिया गया है, डाटा संग्रह के लिए प्राथमिक और द्वितीयक दोनों स्रोतों का प्रयोग किया गया है। प्राथमिक स्रोतों के रूप में साक्षात्कार, प्रश्नावली, साक्षात्कार अनुसूची, प्रत्यक्ष अवलोकन आदि प्रविधियों का सहारा लिया गया। द्वितीयक स्रोतों के रूप में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो तथा राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आधिकारिक डाटा, विविध समाचार पत्र, पत्र-पत्रिकाओं, पुस्तकों, सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया, भारत सरकार, उत्तरप्रदेश सरकार तथा उत्तर प्रदेश पुलिस के महिला सहायता नंबरों के संबंध में जारी शासनादेश का अवलोकन किया। हालाँकि अभी इस विषय पर द्वितीयक स्रोत बहुत कम हैं। सैंपलिंग के लिए सरल यादृच्छिक विधि, स्नो बॉल विधि, आदि प्रविधियों का सहारा लिया।

4. विश्लेषण व सुझाव : महिलाओं का सम्पूर्ण सशक्तिकरण आज पूरी दुनिया की अनिवार्यता है लेकिन सशक्तिकरण के मार्ग की प्रमुख बाधा महिलाओं के साथ बढ़ते जा रहे विविध प्रकार के अपराध है। जिनके नियंत्रण के लिए विविध प्रकार के प्रयास भी हो रहे हैं। महिला सहायता नंबर महिलाओं की सहायता के लिए प्रशासन द्वारा शुरू की गयी एक नयी पहल है जिसका ध्येय लैंगिक असंवेदनशीलता के कारण होने वाले महिला अपराधों को नियंत्रित करना है और सहयोग, विश्वास का ऐसा माहौल निर्मित करना है जिसमें महिलाएं अपने आपको सुरक्षित महसूस कर सकें और आत्मविश्वास से जी सकें।

दैनिक जीवन में महिलाओं और लड़कियों को कई बार असहज महसूस करने वाली स्थिति से गुजरना पड़ता है जैसे भद्दे कमेंटस, छेड़खानी, अनचाहा शारीरिक स्पर्श, मोबाइल पर फर्जी फोन कॉल और अश्लील संदेश का आना,साइबर क्राइम,साइबर बुलिंग आदि।यदि पुलिस के पास शिकायत की जाती है तो पुलिस ऐसे मामलों को गंभीरता से नहीं लेती, मामला पंजीकृत नहीं होता यदि हो भी गया तो मुकदमा कब तक चलेगा, न्याय कब मिलेगा इसका कोई पता नहीं। ऐसा भी संभव है फैसला आने तक यदि पीड़िता की शादी हो जाए फिर फैसला चाहे चाहे पीड़िता के पक्ष में हो या विपक्ष में उसके सामने समस्या होगी क्योकि पित्रसत्तात्मक सोच वाला समाज पीड़िता पर शक करेगा । सबसे बड़ी बात पुलिस और न्यायिक कार्य प्रणाली बहुत भाग दौड़ वाली खर्चीली और समयग्राही है। यदि लड़की अपनी समस्या परिजनों के सामने रखती भी है तो वे बीच मे से लड़की को हटाने की सोच लेते हैं जैसे उसका स्कूल या कोचिंग जाना बंद करवा देना, रास्ता बदलवा देना, बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगा देना, मोबाइल, इन्टरनेट जैसे जरूरी उपकरण छीन लेना। शादी कर देना आदि। एक प्रकार से ऐसी परिस्थिति का निर्माण कर देते हैं जिसमे ऐसा लगता है कि सारा दोष लड़की का ही है।

महिला सहायता नंबर के माध्यम से महिलाएं अपने साथ होने वाले हर प्रकार के असामाजिक व्यवहार की शिकायत आसानी से करते हुये न्याय पा सकती हैं।दरअसल महिला अपराधों की शिकायते न दर्ज होना महिलाओं की न्याय प्राप्ति मार्ग की मुख्य अवरोधक है,शिकायतों का पंजीकरण,त्वरित कार्यवाही,सजा की व्यवस्था महिलाओं को उत्साहित और अपराधियों व असामाजिक तत्वों में मनोवैज्ञानिक दबाब पैदा करती है। महिला सहायता नंबरों पर महिलाओं की पहचान को गोपनीय बनाएँ रखने के साथ-साथ महिला कर्मी ऐसा वातावरण बनाने की कोशिश करती है जिससे महिलाएं भय और संकोच रहित अपनी बात रख सके। महिला सहायता नंबर मे शिकायत पंजीकरण पश्चात सबसे पहले दोषी को समझाना, उसके घरवालों उसके मित्रों को उसकी हरकतों के बारे में बताना, ना मानने पर मुकदमा पंजीकृत करके आगे की कार्यवाही करना शामिल है।**1091** और 1090 उत्तर प्रदेश में कार्यरत दो प्रमुख महिला सहायता नंबर है इनमें से 1091 सम्पूर्ण भारत के लिए और दूसरा 1090 उत्तरप्रदेश के लिए है। महिला सहायता नंबर का विचार लाते समय इस पहलू पर भी विचार किया गया कि जैसे अग्निशमन बल के आपातकालीन सहायता नंबर **101** पर यदि आग लगने की सूचना मिलती है तो सही समय पर पहुँच कर जानमाल की क्षति को रोका जा सकता है, यद्यपि हर जगह पर अग्निशमन दस्ता नहीं पहुँच पाता लेकिन कुछ जगहों पर पहुँच कर इसने जानमाल की रक्षा की है ठीक इसी प्रकार महिला सहायता नंबर भी हर महिला की मदद तो नहीं कर सकता लेकिन कुछ महिलाओं को सहायता दे सकता है जिसे आगे बढ़ाया सकता है ।

इस बात पर भी विचार किया गया कि यदि रैंगिंग की घटना को हेल्प लाइन नंबर और जरूरी सक्रियता,जागरूकता से रोका जा सकता है हालांकि इसमे लगभग 10 साल का समय लगा लेकिन रैगिंग की घटना को रोक लिया गया ठीक इसी प्रकार महिला अपराधों को भी रोका जा सकता है इसमे भी समय लगेगा।

हमारे समाज में अभी लोगों(विशेषतया महिलाओं) के अंदर पुलिस के प्रति अजीब सा भय व अविश्वास है लोग समस्या होने पर भी पुलिस के पास जाना कम पसंद करते हैं उन्हे लगता है कि पुलिस उनके साथ सही बर्ताव नहीं करेगी,महिलाओं में पुलिस और पुलिस कार्यप्रणाली के प्रति घोर अविश्वास, भय और असंतोष है, वो शिकायत करने के बजाय 'चुप' रहना ज्यादा पसंद करती हैं उन्हे लगता है कि पुलिस समस्या का समाधान न होकर स्वयं में एक समस्या है जिनसे महिला और पुलिस रिश्तों में भय, असहयोग, अविश्वास, असंतोष को बढ़ावा मिलता है । अभी भी महिला अपराधों के अधिकांश आरोपी पीड़िता के परिचय के होते हैं दूर या नजदीक के रिश्तेदार होते हैं कभी कभार तो भाई या पिता होते हैं जिनके खिलाफ पुलिस थाने जाकर शिकायत दर्ज करा पाना किसी भी लड़की के लिए बहुत ही कठिन होता है क्योकि हर इंसान पीड़िता को लोकलाज का भय दिखाता है यहाँ तक की पुलिस वाले भी पीड़िता को हतोत्साहित करते हैं और उसे समझौता करने को कहते हैं ,ऐसे में महिला अपराधों की अधिकांश शिकायतें पुलिस के पास तब तक नहीं पहुँच पाती जब तक बात बर्दाश्त के बाहर नहीं हो जाती।

महिला सहायता नंबर की शुरुआत 1936 से मानी जाती है 999 दुनिया का सबसे पुराना महिला सहायता नंबर है। इसमें कोई दो राय नहीं महिला सहायता नंबर महिलाओं की सहायता का एक बेहतर बिकल्प है जिसे केंद्र सरकार और राज्य सरकारें भी मान रही हैं,तमाम पुलिस अधिकारियों नें माना कि यदि महिलाओं को घर में सुरक्षित करा लें , उनके परिजनों या परिचितों द्वारा किए जाने वाले अपराधों से बचा लें,उन्हे सशक्त कर दें तो महिला अपराध अपने आप नियंत्रित हो जाएँगे। इन सब कारणों से महिला सहायता नंबरों के प्रसार और मजबूती पर खास ध्यान दिया जा रहा है।

महिला हिंसा रोक पाने में असफल समाज महिलाओं पर नयी –नयी बंदिश लगाता है जैसे उन्हे बाहर जाने से रोकना, या अकेले ना बाहर जाने देना, ड्रेस चाल चलन पर नियंत्रण आदि। 70 के दशक में इजरायल की प्रधानमंत्री गोल्डा मायर के मंत्रीमंडल में महिला सुरक्षा को लेकर विचार विमर्श चल रहा था जिसमें लोगों ने प्रस्ताव किया कि महिलाओं को सुरक्षा के लिए घर से बाहर ही नहीं निकालना चाहिए या अकेले नहीं निकलना चाहिए। मायर ने इसका विरोध किया और कहा कि हमले पुरुष करते हैं इसलिए पुरूषों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण एक बड़ा मुद्दा है इसमे ढेर सारी चीजें आती हैं। सुरक्षा से तात्पर्य गरीबी से भी सुरक्षा हो, आवश्यक सेवाओं तक पहुँच हो, झोपड़ पट्टियों की दशा में सुधार लाया जाये, सड़कों की बनावट और रूपरेखा जेंडर संवेदी हो, सार्वजनिक स्थान महिलाओं के लिए सुरक्षित हो। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सुरक्षित स्थान भी जरूरी है जो स्थान किसी व्यक्ति में भय पैदा करता है उसकी आवजाही को अवरुद्ध करता है किसी स्थान पर कम आवाजाही या वहाँ पर सहज ना महसूस करना एक प्रकार की सामाजिक बेदखली है,

महिला अपराध दुनिया के हर कोनें में हो रहे हैं और ये महिलाओं के विकास के सबसे बड़े बाधक हैं पूरी दुनिया में 15-44 वर्ष की महिलाओं की मृत्यु और विकलांगकता का सबसे बड़ा कारण महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा है इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं की मृत्यु और विकलांगकता क़ैसर,मलेरिया,दुर्घटना,युद्ध आदि के संयुक्त कारणो से नहीं होती। आज महिलाओं के साथ हो रही हिंसा मानवअधिकारों का सबसे उल्लंघन है। छेडखानी और पीछा करना महिला के जीने का अधिकार का हनन है और छेडछाड एक सामाजिक अपराध है जो महानगरीय शहरों और अन्य जगहों पर में महिला के जीने के अधिकार और आजादी का हनन करता है। भारत सरकार के सूचना और तकनीकी मंत्रालय नें 2 दिसंबर 2014 को एक सर्कुलर जारी करते हुए सभी राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों को तुरंत महिलाओं की सहायता के लिए एक और हेल्प लाइन 181 शुरू करने को कहा और बताया की ये मुख्यमंत्री हेल्प लाइन होगा।

बहुत सारी हेल्प लाइनों का होना भी एक प्रकार का भ्रम पैदा करता है जागोरी की सलाहकार कल्पना विश्वनाथ बताती हैं कि एक प्रभावी महिला सहायता नंबर ही काफी होता है, अमेरिका में 911 हेल्प लाइन का अच्छा खासा प्रभाव है, प्रत्येक व्यक्ति इसके बारे में जानता है इसकी कार्य प्रणाली के बारे में जानता है। और जरूरत पड़ने पर लोग फोन भी करते है इससे एक प्रकार की सुरक्षा की भावना का निर्माण होता है लोगों को लगता है कि नंबर चालू होगा। जबकि भारत में हेल्पलाइन नंबर बनते,बदलते और बंद होते रहते हैं, जरूरत पड़ने पर महिलाओं को कुछ देर सोचना पड़ता है कि किस नंबर पर कॉल करे।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय नें मई 2015 में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आग्रह किया कि महिला सहायता नंबर का एकीकरण कर दें,क्योकि पीड़ित महिला को पुलिस सहायता के अलावा और कई प्रकार की सहायता की जरूरत पड़ती है जैसे एंबुलेंस अस्पताल आदि। और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जितनी भी योजनाएँ है उनका प्रचार प्रसार करें। लेकिन आज भी महिला सहायता नंबर अधिकांश महिलाओं की सहायता नहीं कर पा रहा है अपने शोध कार्य के दौरान मुझे पता चला आज भी 60% से अधिक महिलाओं को महिला सहायता नंबरों के बारे में या कुछ भी नहीं पता या फिर बहुत ही कम पता है , अधिकांश महिलाएं महिला सहायता नंबरों के प्रति नकारात्मक भाव रखती हैं। और जिन्हे महिला सहायता नंबरों से राहत मिली है उनमें से बहुत ही कम नें इसके बारे में अन्य महिलाओं को बताया जबकि उनसे बोला जाता है यदि कोई भी महिला आपकी जानकारी में महिला अपराधों से ग्रस्त हो तो आप उसको महिला सहायता नंबर पर फोन करने को प्रोत्साहित करें या स्वयं कॉल करे आपकी पहचान को गोपनीय रखी जाएगी। दरअसल महिला अपराधों के नियंत्रण के लिए सतत और समावेशी प्रयास की जरूरत है। यू. एन. वुमेन नें इसकी महत्ता को समझा है और उसने 'ही फॉर शी' नामक वैश्विक मुहिम शुरू की है।

महिला सहायता नंबर पर फोन ना लगाना, बीच में फोन कट जाना, सही समय पर मदद ना मिलना,रिस्पाँस टाइम की अधिकता, संसाधनों की कमी, जन असहयोग आदि महिला अपराधों के नियंत्रण में महिला सहायता नंबरों की भूमिका को कमजोर कर रहे हैं। इन सबके अतिरिक्त ढेर सारे महिला सहायता नंबरों का होना भी महिलाओं को भ्रम में डाल देता है छोटे-

छोटे शहरों में ही 112, 100, 1090,1091, एंटी आब्सीन सेल, महिला पुलिस थाना, जी.आर.पी.आदि का अलग –अलग नंबर है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय नें भी इसे नकारात्मक माना और ये बताया अब केवल एक ही सहायता नंबर पूरे भारत के लिए हो। फरवरी 2019 में भारत सरकार नें पूरे देश के अंदर एकीकृत आपातकालीन सहायता नंबर 112 जारी किया जिसका मकसद महिला सहायता, पुलिस सहायता आदि आपातकालीन सेवाओं की गुणवत्ता सुधरे।

महिला सहायता नंबर महिलाओं को एक ऐसा माध्यम देता है जिसके माध्यम से महिलाएं अपने साथ होने वाले हर प्रकार के असामाजिक व्यवहार की शिकायत आसानी से कर सकें और न्याय पा सकें, दरअसल भारत में अभी भी महिला अपराधों की अधिकांश शिकायतें दर्ज नहीं हो पा रही है। इस कारण बहुत सारी महिलाओं को आज भी न्याय नहीं मिल पा रहा है, दरअसल शिकायतों का पंजीकरण न्याय पाने की दिशा में पहला कदम होता है, जब लोगों को लगता है कि महिला अपराधों की शिकायतें पंजीकृत हो रही है ,आरोपी सजा पा रहे हैं तो वो अपराध करने से डरते हैं,अपराधियों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनता है जिससे अपराध नियंत्रित होते हैं लेकिन जब महिला अपराधों की शिकायतें ही नहीं पंजीकृत हो रही है तो महिलाओं को न्याय कैसे मिल सकता है।

अभी भी न्यायालयों में महिला उत्पीड़न के बहुत सारे मामले लंबित हैं ऐसे में महिलाओं को लगता है कि पहले तो शिकायत नहीं दर्ज होगी शिकायत दर्ज हो भी गयी तो न्याय कब मिलेगा कुछ पता नहीं इस कारण बहुत सारी महिलाएं शिकायत नहीं पंजीकृत करवाती। इसलिए न्यायपालिका को भी भी फैसला जल्दी सुनाना चाहिए। महिलाएं चाहती हैं कि उनकी पहचान सार्वजनिक ना हो क्योकि अभी भी समाज पीड़िता को ही शक के नजरिए से देखता है। इस कारण एक ऐसी व्यवस्था के बारे में सोचा गया कि जिसके माध्यम से कोई भी महिला या उसका कोई भी परिचित कभी भी फोन द्वारा शिकायत दर्ज करा सके और पीड़िता की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाए । क्योकि वर्तमान समय में मोबाइल फोन लगभग लोगों के पास होता है ऐसे में कहीं से भी कभी से भी शिकायत दर्ज की जा सकती है

5. **निष्कर्ष**: इस प्रकार कहा जा सकता है कि महिला सहायता नंबर महिलाओं अपराधों के नियंत्रण का एक प्रयास है, जिसमें और सुधार करके इसे और प्रभावी बनाया जा सकता है सबसे जरूरी है हर महिला तक इसकी पहुँच हो, हर व्यक्ति इसकी महत्ता को समझे, और सही समय पर पर्याप्त सहायता मिले। इसके साथ-साथ न्यायपालिका को भी और सक्रियता दिखानी होगी, देरी से मिला न्याय भी अन्याय ही होता है, पुलिस में सुधार भी करना होगा, अपराधों की जाँच में तकनीकि का प्रयोग बढ़ाना होगा,पुलिस बल में महिलाओं की संख्या बढ़ानी होगी। पुलिस विभाग में नियमित तौर पर जेंडर संवेदनशीलता का कोर्स होना चाहिए। समाज को भी महिलाओं के प्रति सोच बदलनी होगी। बच्चों को बचपन से जेंडर संवेदनशीलता की शिक्षा देनी होगी।

संदर्भ सूची:

1. Brush, L. D. (2007). *Gender and Governance (The Gender lens)* satyam Apts., sector3, Jawahar Nagar, Jaipur -302004 (India).
2. Sandra, w. (2004). *Gender crime and criminal justice.* willan publishing house.
3. *महिला सशक्तिकरण .* जयपुर(राजस्थान): सोमानी बिल्डिंग प्रथम मंजिल, एसबी . बी . जे . बैंक की गली, चौड़ा रास्ता.
4. मिश्रा, र. श. (2012). *भारतीय समाज में कार्यशील महिलाएँ,* दरिया गंज (नई दिल्ली).
5. मीनाक्षी, न. स. (2009). *महिला सशक्तिकरण के मायने .* दरियागंज नईदिल्ली : ओमेगा पब्लिकेशन्स .
6. श्रीवास्तव, हरिश्चंद्र. (1999). *मुग़ल शासन प्रणाली .* नई दिल्ली : वाणी प्रकाशन.
7. **(2012**, **11 23).** Retrieved **03 11, 2015**, from www.youtube.com: www.youtube.com/watch?v=YBNQhZpVsPk
8. **(2013**, **04 21).** Retrieved **03 11**, **2015**, from you tube: /www.youtube.com/watch?v=eu**3**ewXWgThE
9. Sikera, d. n. (**2012**, **11 23).** women power and its essence. (p. trivedi, Interviewer)

Websites:

- www.gov.uk/goverment/speeches/ending-sexualviolence 11/8/21015
- Http://feminist-poems-arcticles-blogspot.in/2012/02/blogspot.html
- http://www.mha.nic.in/hindi/caw
- www.wol.jw.org/hi/wol/dr/08/phi/102008001
- www.mahilaayog.up.nic.in/computercelhtm
- http://www.unwomen.org/en/newsstories/2015/6/lakshmi_purisafecities-statement.
- http://www.thehindu.com/news/national/road_mostdangerousformenhomeforwomen/article6170534ece
- http://www.thehindu/news/national/many-women-have-no-say-inmarraige18/03/2014
- http://www.nena.org overviewfacts-10/08/2015
- http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/112-united-kingdom
- http://egov.eletsonline.com/2015/02/01090-power-to-womenfolk
- www.unwomen.org